

राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर बेंच

एस.बी. सिविल द्वितीय अपील संख्या 360/2023

- उगंता कंवर पत्नी मंगू सिंह, निवासी-रामगढ़ पचवारा, तहसील-रामगढ़ पचवारा, जिला-दौसा, राजस्थान
- लक्ष्मण सिंह पुत्र मंगू सिंह, निवासी-रामगढ़ पचवारा, तहसील-रामगढ़ पचवारा, जिला-दौसा, राजस्थान
- किशन सिंह पुत्र मंगू सिंह, निवासी-रामगढ़ पचवारा, तहसील-रामगढ़ पचवारा, जिला-दौसा, राजस्थान
- पूजा कंवर पुत्री मंगू सिंह, उम्र लगभग 18 वर्ष, अपने प्राकृतिक संरक्षक उगंता कंवर के माध्यम से, निवासी-रामगढ़ पचवारा, तहसील-रामगढ़ पचवारा, जिला दौसा, राजस्थान

----अपीलकर्ता

बनाम

- राज कंवर पत्नी शैतान सिंह, निवासी-रामगढ़ पचवारा, जिला-दौसा
- विष्णु सिंह पुत्र शैतान सिंह, निवासी-रामगढ़ पचवारा, जिला-दौसा
- शेर सिंह पुत्र शैतान सिंह, निवासी-रामगढ़ पचवारा, जिला-दौसा
- मंगू सिंह पुत्र छगन सिंह, निवासी-रामगढ़ पचवारा, जिला-दौसा
- उप रजिस्ट्रार, रामगढ़ पचवारा, जिला-दौसा।
- राजस्थान राज्य, तहसीलदार, रामगढ़ पचवारा, जिला-दौसा के माध्यम से
- रूप कंवर पत्नी नरपत कंवर पुत्री मंगू सिंह, वर्तमान में ग्राम-खोहरा, तेशिल-दौसा, जिला-दौसा में रहती हैं।

----उत्तरदाता

अपीलकर्ता(ओं) के लिए : श्री दिनेश यादव के साथ श्री अंकित कुमार
उत्तरदाता(ओं) के लिए : श्री विक्रम सिंह चौहान
श्री अनिल अग्रवाल

माननीय श्री न्यायमूर्ति अशोक कुमार जैन
निर्णय

रिपोर्ट योग्य01/02/2024

- विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, लालसोट, जिला दौसा द्वारा पारित सिविल नियमित

अपील संख्या 26/2019 में दिनांक 21.10.2023 के आदेश से व्यथित होकर तत्काल द्वितीय अपील प्रस्तुत की जाती है, जिसके द्वारा सिविल वाद संख्या 72/2018 (47/2015) में दिनांक 17.10.2019 के निर्णय एवं डिक्री की पुष्टि की गई थी तथा अपील खारिज कर दी गई थी।

2. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने अपील के आधारों पर भरोसा करते हुए प्रस्तुत किया है कि अपीलकर्ता ने उत्तरदाता संख्या 4 द्वारा शैतान सिंह (उत्तरदाता संख्या 1 के पति और उत्तरदाता संख्या 2 और 3 के पिता) के पक्ष में बिना किसी अधिकार के निष्पादित त्याग विलेख को चुनौती दी है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि यह संपत्ति स्वर्गीय छगन सिंह की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार में प्राप्त पैतृक संपत्ति है, जिसमें अपीलकर्ता को उत्तराधिकार का अधिकार है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि वादी संख्या 2 से 5 उत्तरदाता संख्या 4 के पुत्र और पुत्री हैं, जिनका उत्तरदाता संख्या 4 द्वारा उत्तराधिकार प्राप्त सह-दायिकी संपत्ति पर अधिकार और दावा है, इसलिए, उत्तरदाता संख्या 4 को त्याग विलेख निष्पादित करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि ट्रायल कोर्ट कानूनी मुद्दों और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करने में विफल रहा है उन्होंने यह भी दलील दी कि तथ्यों, परिस्थितियों और आधारों के आधार पर, कानून के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मौजूद हैं, जिन पर इस माननीय न्यायालय द्वारा विचार किया जाना आवश्यक है। उन्होंने यह भी दलील दी कि निचली अदालतों के निष्कर्ष विरोधाभासी और गैरकानूनी हैं, इसलिए उन्हें खारिज किया जाना चाहिए।

3. कैविएटर उत्तरदाता संख्या 1 से 3 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं ने उपरोक्त दलीलों का विरोध किया और दलील दी कि निचली अदालतों के निष्कर्ष समवर्ती हैं और दूसरी अपील में यह माननीय न्यायालय तथ्यात्मक पहलू पर विचार नहीं कर सकता, इसलिए, कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न के अभाव में, अपील खारिज किए जाने योग्य है।

4. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।

5. सामग्री के अवलोकन से पता चला कि वादी संख्या 1, जो प्रतिवादी संख्या 4 की पत्नी है और वादी संख्या 2 से 5 (वादी संख्या 1 और प्रतिवादी संख्या 4 के पुत्र और पुत्रियां) ने प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा स्वर्गीय शैतान सिंह के पक्ष में निष्पादित दिनांक 30.10.2012 के त्याग विलेख को रद्द करने के लिए वाद दायर किया है।

6. उपर्युक्त से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि दिनांक 30.10.2012 को निष्पादित विलेख

को चुनौती देते हुए 24.07.2015 को वाद दायर किया गया था। पक्षकारों की दलीलों के आधार पर, छह मुद्दे तय किए गए और दोनों पक्षों ने अपने साक्ष्य प्रस्तुत किए तथा पूर्ण सुनवाई के बाद अपीलकर्ता/वादीगण का वाद खारिज कर दिया गया।

7. उपरोक्त से व्यथित होकर, धारा 96 के अंतर्गत अपील दायर की गई और उसे 21.10.2023 को खारिज कर दिया गया। निम्न न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि दोनों निष्कर्ष समवर्ती हैं।

8. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर, विशेष रूप से सीपीसी की धारा 100 के आलोक में, विचार करने के बाद, मेरा यह सुविचारित मत है कि अपील पर तब तक विचार नहीं किया जा सकता जब तक कि कोई ऐसा तात्विक विधि प्रश्न न हो जिस पर इस न्यायालय को विचार करने की आवश्यकता हो। यह न्यायालय सीपीसी की धारा 100 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए तथ्यों के विशुद्ध प्रश्न में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। सामान्यतः, प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा समवर्ती निष्कर्ष और अपील खारिज करने की स्थिति में, यह न्यायालय तथ्यों के समवर्ती निष्कर्ष में तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकता जब तक कि कोई तात्विक विधि प्रश्न न हो।

9. यह निर्धारित करने के लिए कि कोई प्रश्न विधि का सारवान प्रश्न है या नहीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा चुन्नीलाल बनाम मेहता एंड संस लिमिटेड बनाम सेंचुरी स्पेज एंड एम.जी.एफ कंपनी लिमिटेड ए.आई.आर 1962 एस.सी 1314 के मामले में निम्नानुसार निर्धारित किया गया था:

"हमारे विचार में, इस मामले में उठाया गया विधि का प्रश्न सारवान है या नहीं, यह निर्धारित करने के लिए उचित परीक्षण यह होगा कि क्या यह सामान्य सार्वजनिक महत्व का है या यह पक्षकारों के अधिकारों को प्रत्यक्ष और सारवान रूप से प्रभावित करता है, और यदि ऐसा है तो क्या यह इस अर्थ में एक खुला प्रश्न है कि यह इस न्यायालय, प्रिवी काउंसिल या संघीय न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से तय नहीं किया गया है, या यह कठिनाइयों से मुक्त नहीं है या वैकल्पिक विचारों पर चर्चा की मांग करता है। यदि प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किया गया है या प्रश्न के निर्धारण में लागू किए जाने वाले सामान्य सिद्धांत अच्छी तरह से तय किए गए हैं और उन सिद्धांतों को लागू करने का मात्र प्रश्न है, या उठाया गया तर्क स्पष्ट रूप से बेतुका है, तो यह प्रश्न विधि का सारवान प्रश्न नहीं होगा।"

10. एम.एस.वी राजा बनाम सीनी थेवर एआईआर 2001 एससी 3389 के मामले में,

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न का निर्माण वास्तव में द्वितीय अपील में उच्च न्यायालय द्वारा विचार किए गए और निर्णय किए गए प्रश्नों के प्रकार से अनुमान लगाया जा सकता है, भले ही कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न विशिष्ट रूप से और अलग से तैयार नहीं किए गए थे।

11. हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुरेश लतारूजी रामटेके बनाम सौ. सुमाबाई पांडुरंग पेटकर एवं अन्य (सिविल अपील संख्या 6070/2023, एसएलपी(सी) संख्या 20183/2022 से उत्पन्न, दिनांक 21.09.2023 को निर्णीत) के मामले में सीपीसी की धारा 100 के दायरे पर विचार किया और कानून का सारांश इस प्रकार दिया:

13. धारा 100, सीपीसी पर न्यायशास्त्र समृद्ध और विविध है। इस न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में बार-बार उन आवश्यकताओं को निर्धारित, संक्षिप्त और स्पष्ट किया है जिनकी पूर्ति अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए ताकि द्वितीय अपील, जैसा कि इसमें निर्धारित है, स्वीकार्य हो और उसके बाद उस पर निर्णय दिया जा सके। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस न्यायालय के समक्ष ऐसे अनेक मामले दायर किए गए हैं जो इस प्रावधान के अनुप्रयोग पर आधारित हैं, हम इन सिद्धांतों को दोहराना आवश्यक समझते हैं।

13.1 इस धारा के अंतर्गत सबसे बुनियादी आवश्यकता "कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न" की उपस्थिति और उसका निर्माण है। दूसरे शब्दों में, ऐसे प्रश्न का अस्तित्व इस अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के लिए अनिवार्य है।

13.2 इस धारा के अंतर्गत क्षेत्राधिकार का वर्णन इस न्यायालय ने गुरदेव कौर बनाम काकी (2007) 1 एससीसी 546 (दो न्यायाधीशों की पीठ) में किया है, जिसमें कहा गया है कि 1976 के संशोधन के बाद, धारा 100 सीपीसी का दायरा काफी सीमित हो गया है और इसकी प्रकृति प्रतिबंधात्मक हो गई है। धारा 100 सीपीसी के अंतर्गत हस्तक्षेप करने का उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार केवल उन्हीं मामलों में है जहाँ विधि के महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हों, जिन्हें अपील ज्ञापन में भी स्पष्ट रूप से तैयार/निर्धारित किया गया है। यह देखा गया है कि: "द्वितीय अपील के प्रवेश के समय, उच्च न्यायालय का यह परम कर्तव्य और दायित्व है कि वह कानून के सारवान प्रश्न तैयार करे और उसके बाद ही उच्च न्यायालय को उन कानून के प्रश्नों पर निर्णय करने के लिए मामले को आगे बढ़ाने की अनुमति है। संशोधित खंड में प्रयुक्त भाषा में विशेष रूप से "कानून का सारवान प्रश्न" जैसे शब्द शामिल हैं जो विधायी मंशा का संकेत है। यह स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए कि विधायी मंशा बहुत स्पष्ट थी कि विधायिका कभी नहीं चाहती थी कि द्वितीय अपील "तथ्यों पर तीसरा परीक्षण" या "जुआ में एक और पासा" बन जाए। संशोधित खंड के अनुसार, संशोधन का

मुख्य रूप से प्रभाव यह था:

- (i) उच्च न्यायालय द्वारा द्वितीय अपील को तभी स्वीकार करना न्यायोचित होगा जब इसमें विधि का कोई सारवान प्रश्न सम्मिलित हो;
- (ii) विधि का सारवान प्रश्न, ऐसे प्रश्न को स्पष्ट रूप से बताना;
- (iii) अपील की सुनवाई से पहले विधि का सारवान प्रश्न तैयार करने का कर्तव्य उच्च न्यायालय पर डाला गया है;
- (iv) धारा का एक अन्य भाग यह है कि अपील केवल उसी प्रश्न पर सुनी जाएगी।”

रणधीर कौर बनाम पृथ्वी पाल सिंह एवं अन्य (2019) 17 एससीसी 71 में गुरदेव कौर (सुप्रा) का उल्लेख किया गया और उस पर भरोसा किया गया।

13.3 संतोष हजारी बनाम पुरुषोत्तम तिवारी (2001) 3 एससीसी 179 में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कानून के सारवान प्रश्न के संबंध में निम्नानुसार निर्णय दिया:-

क) भूमि कानून या बाध्यकारी मिसाल द्वारा पहले से तय नहीं किया गया हो।

(ख) मामले के निर्णय से संबंधित सामग्री; और (ग) उच्च न्यायालय के समक्ष पहली बार उठाया गया कोई नया मुद्दा मामले से संबंधित नहीं है, जब तक कि वह मामले की जड़ तक न पहुँच जाए। इसलिए, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा।

केरल सरकार बनाम जोसेफ 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 961 और चंद्रभान बनाम सरस्वती 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 1273 में ऐसे सिद्धांतों का पालन किया गया है

13.4 लॉर्ड्स की कार्यवाही में महत्वपूर्ण प्रश्न(प्रश्नों) का निर्माण न करना "स्पष्ट रूप से अवैध" है। उमरखान बनाम बिमिलाबी (2011) 9 एससीसी 684 और शिव कोटेक्स बनाम तिरगुन ऑटो प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य (2011) 9 एससीसी 678 में इस न्यायालय के निर्णय इस स्थिति को इंगित करते हैं।

14. उच्च न्यायालय द्वारा तैयार किए गए विधि के महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर उसमें उठाए गए तर्कों के आलोक में दिया जाना चाहिए।

14.1 यदि न्यायालय का यह विचार है कि तैयार किए गए प्रश्न को परिवर्तित किया जाना है, हटाया जाना है या नया प्रश्न जोड़ा जाना है, तो न्यायालय को पक्षकारों को सुनना होगा।

14.2 उपरोक्त दोनों सिद्धांतों के लिए, गजराबा भीखुभा वडेर बनाम सुमारा उमर अमद (2020) 11 एससीसी 114 का संदर्भ लिया जा सकता है, जहां निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन किया गया था: -

क) उच्च न्यायालय द्वारा तैयार किए गए विधि के मूल प्रश्न का उत्तर, कारण सहित, अवश्य दिया जाना चाहिए। उसका उत्तर दिए बिना अपील का निपटारा करना उचित नहीं ठहराया जा

सकता।

(ख) यदि किसी प्रश्न को संशोधित, परिवर्तित या हटाने की आवश्यकता महसूस की जाती है, तो उसके संबंध में पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।

14.3 जब मामला स्वीकार कर लिया जाता है, किन्तु सुनवाई के दौरान जब यह पाया जाता है कि विचारणीय कोई विधि का सारवान प्रश्न नहीं उठता है, तो ऐसी बर्खास्तगी में कारण अभिलिखित किए जाने चाहिए।

15. **किच्छा शुगर कंपनी लिमिटेड बनाम रूफ़ाइट (पी) लिमिटेड (2009) 16 एससीसी 280** में यह देखा गया:

"4. उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा हमारा ध्यान सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100(5) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जहाँ द्वितीय अपील के उत्तरदाता को "यह तर्क देने की अनुमति है कि मामले में ऐसा कोई प्रश्न शामिल नहीं है" अर्थात् पहले तैयार किए गए प्रश्न। इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन फिर द्वितीय अपील पर आदेश में, चाहे कितना भी संक्षिप्त क्यों न हो, यह इंगित किया जाना चाहिए कि पहले चरण में तैयार किए गए प्रश्न, अंतिम सुनवाई के चरण में, विधि के प्रश्न क्यों नहीं पाए गए।"

16. सामान्यतः, महत्वपूर्ण प्रश्न बाद में तैयार नहीं किए जाने चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है, तो पक्षकारों को उनका सामना करने का अवसर अवश्य दिया जाना चाहिए। **यू.आर. विरुपाक्षप्पा बनाम सर्वमंगला (2019) 2 एससीसी 177** में इस न्यायालय ने यह निर्णय दिया:

"15. इसके अतिरिक्त, न्यायालय को सामान्यतः किसी भी महत्वपूर्ण विधि प्रश्न को बाद में बिना कोई कारण बताए और उत्तरदाता को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना तैयार नहीं करना चाहिए। [देखें नुने प्रसाद बनाम नुने रामकृष्ण [(2008) 8 एससीसी 258: (2008) 10 स्केल 523]; पंचुगोपाल बरुआ बनाम उमेश चंद्र गोस्वामी [(1997) 4 एससीसी 713] (एससीसी पैरा 8 और 9); और क्षितीश चंद्र पुरकैत बनाम संतोष कुमार पुरकैत [(1997) 5 एससीसी 438] (एससीसी पैरा 10 और 12)]।

16. हालाँकि, इस मामले में, उच्च न्यायालय ने खुली अदालत में फैसला सुनाते समय एक सारवान विधि प्रश्न तैयार किया। ऐसा सारवान विधि प्रश्न तैयार किए जाने से पहले, पक्षकारों को सूचित किया जाना चाहिए था। उन्हें इसका उत्तर देने का अवसर दिया जाना चाहिए था। हालाँकि न्यायालय के पास बाद के चरण में एक सारवान विधि प्रश्न तैयार करने का अपेक्षित अधिकार क्षेत्र है, जिसे द्वितीय अपील के स्वीकार किए जाने के समय तैयार नहीं किया गया था, फिर भी सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के साथ संलग्न परंतुक में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करना आवश्यक था।

16.1 इस न्यायालय ने **महबूब-उर-रहमान बनाम अहसानुल**

गनी, (2019) 19 एससीसी 415 में धारा 100(5) सीपीसी के आवेदन के संबंध में निम्नानुसार टिप्पणी की:-

क) उपधारा (5) के परन्तुक के अधीन यह नियम नहीं है कि किसी अन्य विधि के सारवान प्रश्न पर सुनवाई की जाए, चाहे वह प्रश्न कोई भी हो, जिससे धारा 100, सी.पी.सी. की अन्य अपेक्षाएं निरस्त हो जाएं।

(ख) अपवादात्मक मामलों में प्रावधान लागू होगा, जहां उच्च न्यायालय द्वारा कारण दर्ज किए जाने हैं।

16.2 यह भी माना गया है कि इस धारा का अनुप्रयोग केवल तभी होता है जब कुछ प्रश्न, जो विधि में सारवान हों, पहले से ही निर्धारित हों। (बी.सी. शिवशंकर बनाम बी.आर. नागराज) (2007) 15 एससीसी 387।

16.3 प्रिवी काउंसिल, संघीय न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का गलत अनुप्रयोग, न तो विधि के सारवान प्रश्न के लिए योग्य होगा और न ही तथ्यों का गलत अनुप्रयोग।

16.4 यदि किसी मुद्दे पर, निचली अदालत साक्ष्य पर चर्चा करती है, लेकिन उस पर कोई निष्कर्ष नहीं निकालती है, तो धारा 100, सीपीसी के तहत अधिकार क्षेत्र वाला उच्च न्यायालय ऐसा कर सकता है। गोविंदभाई छोटाभाई पटेल बनाम पटेल रमनभाई माथुरभाई (2020) 16 एससीसी 255 का संदर्भ दिया जाना चाहिए।

कौंडीबा दगडु कदम बनाम सावित्रीबाई सोपान गुजर (1999) 3 एससीसी 722 में इस न्यायालय ने कहा-

“6. यदि किसी विधि प्रश्न को सारवान प्रश्न कहा गया है और उसका निर्णय संबंधित उच्च न्यायालय की किसी वृहद पीठ, प्रिवी काउंसिल, संघीय न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहले ही हो चुका है, तो मामले के तथ्यों पर उसके केवल गलत प्रयोग को सारवान विधि प्रश्न नहीं माना जाएगा। जहाँ किसी विधि प्रश्न पर बहस नहीं की गई है या किसी तथ्यात्मक प्रारूप के अभाव में पक्षकारों के बीच उत्पन्न होता पाया गया है, वहाँ किसी वादी को द्वितीय अपील में उस प्रश्न को सारवान विधि प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। केवल तथ्यों, दस्तावेजी साक्ष्यों या प्रविष्टियों के अर्थ और दस्तावेज की विषय-वस्तु का मूल्यांकन ही सारवान विधि प्रश्न उठाने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता...”

16.5 असाधारण मामलों में तथ्यों के निष्कर्षों में हस्तक्षेप की अनुमति है, अर्थात्, जब निष्कर्ष अस्वीकार्य या बिना किसी साक्ष्य पर आधारित हो। इस न्यायालय ने दिनेश कुमार बनाम यूसुफ अली (2010) 12 एससीसी 740 में विभिन्न अन्य मामलों का हवाला देते हुए यह निर्णय दिया:- क) उच्च न्यायालय के लिए साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन करना इस प्रकार स्वीकार्य नहीं है मानो वह प्रथम अपीलीय न्यायालय हो, जब तक कि निष्कर्ष विकृत न हों।

ख) तथ्य की खोज को असाधारण परिस्थितियों में नियमितता के बजाय दुर्लभता के रूप में हस्तक्षेप किया जा सकता है।

ग) द्वितीय अपील में साक्ष्य की जांच निषिद्ध नहीं है, लेकिन इसे उचित सावधानी के साथ किया जाना चाहिए।

17. दूसरी अपील के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग केवल इसलिए नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि कोई वैकल्पिक दृष्टिकोण संभव है। **हमीदा बनाम मोहम्मद खलील (2001) 5 एससीसी 30** में यह टिप्पणी की गई थी।

7. ...यह सुस्थापित है कि उच्च न्यायालय, धारा 100 सीपीसी के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, केवल इस आधार पर तथ्यों के आधार पर निचली अपीलीय अदालत के निष्कर्षों को पलट नहीं सकता कि निचली अपीलीय अदालत द्वारा पाए गए तथ्यों के आधार पर एक अन्य दृष्टिकोण संभव था।”

अवतार सिंह एवं अन्य बनाम बिमला देवी एवं अन्य (2021) 13 एससीसी 816 द्वारा इस स्थिति को दोहराया गया।

17.1. ऐसे प्रतिबंधित आवेदन के मामले में, यह सुनिश्चित करने के लिए एक आवश्यक पहलू कि यह "तीसरी अपील" का स्वरूप धारण न कर ले, साक्ष्यों की सीमित संभावना और उससे संबंधित, तथ्यों के समवर्ती निष्कर्षों को पलटने पर प्रतिबंध है। हालाँकि, इस नियम के कुछ अपवाद हैं, जैसा कि इस न्यायालय ने **नज़ीर मोहम्मद बनाम जे. कमला (2020) 19 एससीसी 57** में निम्नलिखित रूप में बताया है:

"33.4. सामान्य नियम यह है कि उच्च न्यायालय निचली अदालतों के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन यह पूर्ण नियम नहीं है। कुछ सुप्रसिद्ध अपवाद इस प्रकार हैं:

(i) निचली अदालतों ने ठोस सबूतों को नज़रअंदाज़ किया है या बिना सबूत के कार्रवाई की है; (ii) अदालतों ने कानून को गलत तरीके से लागू करके सिद्ध तथ्यों से गलत निष्कर्ष निकाले हैं; या (iii) अदालतों ने सबूत का भार गलत तरीके से डाला है। बिना सबूत के आधार पर लिया गया फैसला केवल उन मामलों को ही संदर्भित नहीं करता है जहाँ सबूतों का पूर्ण अभाव है, बल्कि उन मामलों को भी संदर्भित करता है जहाँ समग्र रूप से लिया गया सबूत, निष्कर्ष का समर्थन करने में उचित रूप से सक्षम नहीं है।

17.2 इसकी सीमा इस अवलोकन से रेखांकित की जा सकती है कि:

“32. द्वितीय अपील में, चूँकि उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न तक सीमित है, इसलिए तथ्य का निष्कर्ष द्वितीय अपील में चुनौती के लिए खुला नहीं है, भले ही साक्ष्य की सराहना स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण हो और तथ्य का निष्कर्ष गलत हो जैसा कि बनाम रामचंद्र अय्यर बनाम रामलिंगम चेट्टियार [बनाम रामचंद्र अय्यर बनाम रामलिंगम चेट्टियार, एआईआर 1963 एससी 302] में कहा गया है। उच्च न्यायालय के समक्ष पहली बार उठाया गया एक बिल्कुल नया

मुद्दा, मामले में शामिल प्रश्न नहीं है, जब तक कि यह मामले की जड़ तक न जाए।”

12. अमर सिंह बनाम दलीप सिंह (2012) 13 एससीसी 405, के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कानून के प्रश्न को तैयार करने के उद्देश्य को निम्नलिखित तरीके से समझाया:

“क) विधि के किसी सारवान प्रश्न को तैयार करने का उद्देश्य पक्षकारों को उस विशेष प्रश्न पर तैयार होने का अवसर देना है।

(ख) जब न्यायालय द्वारा विधि का कोई सारवान प्रश्न तैयार किया जाता है तो उसे पक्षकारों को अवश्य अवगत कराया जाना चाहिए और तत्पश्चात् उन्हें उस पर तर्क प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिए।

ग) यदि सुनवाई के समय कोई अतिरिक्त प्रश्न तैयार किया गया हो, तो न्यायालय को उस प्रश्न पर भी पक्षकारों को सुनना होगा।”

13. माननीय न्यायालय ने चंद्रभान बनाम सरस्वती 2022 एससीसी ऑनलाइन (एससी) 1273 (22.09.2022 को निर्णीत) के मामले में सीपीसी की धारा 100 से संबंधित निम्नलिखित सिद्धांत को संक्षेप में प्रस्तुत किया है:

“(i) निचली अदालतों ने भौतिक साक्ष्य को नजरअंदाज किया है या बिना किसी साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई की है;

(ii) न्यायालयों ने कानून को गलत तरीके से लागू करके सिद्ध तथ्यों से गलत निष्कर्ष निकाला है; या

(iii) अदालतों ने सबूत का भार गलत तरीके से डाला है।”

14. इस प्रकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सीपीसी की धारा 100 से संबंधित सिद्धांत को निम्नलिखित शब्दों में संक्षेपित किया:

“(i) किसी दस्तावेज के वर्णन या विषय-वस्तु से तथ्य का अनुमान लगाना तथ्य का प्रश्न है। लेकिन किसी दस्तावेज के शब्दों का विधिक प्रभाव विधि का प्रश्न है। किसी दस्तावेज की रचना, जिसमें विधि के किसी सिद्धांत का अनुप्रयोग शामिल हो, भी विधि का प्रश्न है। इसलिए, जब किसी दस्तावेज की गलत रचना होती है या दस्तावेज की व्याख्या करते समय विधि के किसी सिद्धांत का गलत अनुप्रयोग होता है, तो यह विधि का प्रश्न उत्पन्न करता है।”

(ii) न्यायालय को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि मामला विधि का एक सारवान प्रश्न है, न कि केवल विधि का प्रश्न। मामले के निर्णय पर प्रभाव डालने वाला विधि का प्रश्न (अर्थात्, ऐसा प्रश्न, जिसका उत्तर वाद के पक्षकारों के अधिकारों को प्रभावित करता हो) विधि का एक सारवान प्रश्न होगा, यदि वह विधि के किसी विशिष्ट

प्रावधान या बाध्यकारी पूर्वोदाहरणों से उत्पन्न स्थापित विधिक सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है और उसमें कोई विवादास्पद विधिक मुद्दा शामिल है।

(iii) विधि का सारवान प्रश्न विपरीत स्थिति में भी उठेगा, जहां विधिक स्थिति स्पष्ट है, या तो विधि के स्पष्ट प्रावधानों के कारण या बाध्यकारी उदाहरणों के कारण, लेकिन निचली अदालत ने मामले का निर्णय या तो ऐसे विधिक सिद्धांत की अनदेखी करते हुए या उसके विपरीत कार्य करते हुए किया है।

(iv) दूसरे प्रकार के मामलों में, विधि का सारवान प्रश्न इसलिए नहीं उठता कि विधि अभी भी बहस योग्य है, बल्कि इसलिए उठता है कि किसी सारवान प्रश्न पर दिया गया निर्णय विधि की स्थापित स्थिति का उल्लंघन करता है।

(v) सामान्य नियम यह है कि उच्च न्यायालय निचली अदालतों द्वारा निकाले गए तथ्यों के निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन यह पूर्ण नियम नहीं है। कुछ सुप्रसिद्ध अपवाद इस प्रकार हैं:

(क) निचली अदालतों ने भौतिक साक्ष्य की अनदेखी की है या बिना साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई की है;

(ख) न्यायालयों ने कानून को गलत तरीके से लागू करके सिद्ध तथ्यों से गलत निष्कर्ष निकाला है; या

(ग) न्यायालयों ने सबूत का भार गलत तरीके से डाला है।

(vi) जब न्यायालय “बिना साक्ष्य के आधार पर निर्णय” का उल्लेख करता है, तो वह न केवल उन मामलों को संदर्भित करता है जहां साक्ष्य का पूर्ण अभाव है, बल्कि किसी भी मामले को संदर्भित करता है, जहां समग्र रूप से लिया गया साक्ष्य, निष्कर्ष का समर्थन करने में उचित रूप से सक्षम नहीं है।”

15. उपर्युक्त कानूनी स्थिति पर विचार करते हुए, मेरा यह विचार है कि त्याग विलेख और स्थायी निषेधाज्ञा को रद्द करने के लिए अपीलकर्ता/वादी द्वारा मुकदमा दायर किया गया था और इसे ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया था और ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों की अपीलीय अदालत ने पुष्टि की थी। रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री और निचले न्यायालय के आक्षेपित निर्णयों को देखते हुए, मेरा यह विचार है कि अपीलकर्ता निचले न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों में विशिष्ट विकृति या अवैधता स्थापित करने में विफल रहा। इसी तरह सामग्री के अवलोकन से संकेत मिलता है कि ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ अपीलीय अदालत ने भी अपीलकर्ता के आधार और सबूतों पर कानून के अनुसार विचार किया। इस प्रकार, जैसा कि ऊपर परिभाषित किया गया है, कानून के प्रश्न में हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है। अदालत को यह संतुष्ट करना होगा कि सीपीसी की धारा 100 के तहत इस न्यायालय द्वारा न्यायनिर्णयन के लिए कानून का एक पर्याप्त प्रश्न मौजूद है।

16. अतः अपील खारिज किये जाने योग्य है।

17. उपर्युक्त के मद्देनजर, अपील को खारिज किया जाता है।
18. विविध आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा हो जाता है।

(अशोक कुमार जैन), जे

चेतना बेहरानी/25

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"

Tarun Mehra

Advocate